प्रेस विज्ञप्ति

10.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (**ईडी**), दीमापुर उप आंचलिक कार्यालय ने **एचपीजेड टोकन ऐप मामले** में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, ठाणे और नवी मुंबई में 11 परिसरों में 05/12/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में उन प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर और व्यावसायिक परिसर शामिल थे, जो अपराध की आय के लाभार्थी हैं या जिन्होंने मामले में मास्टर माइंड की सक्रिय रूप से सहायता/प्रोत्साहन की है।

ईडी ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के खनन (माइनिंग) के लिए पैसा लगाने पर अत्यधिक(एस्ट्रोनॉमिक) रिटर्न के वादे की आड़ में भोले-भाले निवेशकों को ठगने के संबंध में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसके लिए "एचपीजेड टोकन" नामक ऐप आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि 57,000 रुपये के निवेश पर 3 महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था। निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए शुरू में रिटर्न दिया गया और साथ ही नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए, जिससे भोले-भाले निवेशकों द्वारा और अधिक निवेश किया गया। इसके बाद, एकत्र किए गए धन को निकाल लिया गया और ऐप/वेबसाइट को एक्सेस नहीं किया जा सका।

तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के दौरान विभिन्न चल और अचल संपत्तियां पाई गईं और बैंक बैलेंस/एफडी/म्यूचुअल फंड आदि के रूप में 12.5 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) को फ्रीज कर दिया गया। यह कार्रवाई एचपीजेड टोकन मामले से संबंधित है, जिसमें निवेशकों को ऐप एचपीजेड टोकन और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से उनके निवेश को दोगुना करने के बहाने सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।

इस मामले में पहले, दीमापुर उप आंचलिक कार्यालय ने पूरे देश में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी। अब तक, इस मामले में ईडी, दीमापुर सब-जोनल कार्यालय द्वारा जब्त और कुर्क की गई अपराध की कुल आय 615.90 करोड़ रुपये से अधिक है।

आगे की जांच हो रही है।